बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि०-1-23/2014 591 /पटना, दिनांक 25-6-2018

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

विषयः- **सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े सहकारी समितियों/ स्वाबलंबी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के संबंध में।**

प्रसंगः- **प्राधिकार का पत्रांक** 560 **दिनांक** 24.08.2016

महाशय,

प्रायः सहकारी समितियों/स्वाबलंबी सहकारी समितियों के निर्वाचन में सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण कराया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना है कि सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न नहीं हो।

2. प्राधिकार के पत्रांक 560 दिनांक 24.08.2016 द्वारा सदस्यता सूची/मतदाता सूची पर विवाद के समाधान के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया थाः-

(क) पूर्व से जो सदस्यता/मतदाता सूची बनी हुई है और जिस पर मतदान हो चुका है, उस सूची को आधार सूची माना जाय।

(ख) आधार सूची में नये बनाये गये सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है या पुराने सदस्यों को हटाया जा सकता है किन्तु इसका सदस्यवार कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है और इस प्रकार का निर्णय प्रबंधकारिणी समिति/बोर्ड की बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पारित कराना आवश्यक होगा।

3. प्राधिकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ससमय प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन विहित स्थलों (निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट् पर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यालय के सूचना पट्) पर नहीं किये जाने के फलस्वरूप सदस्यों को जानकारी नहीं मिल पाती है और यह विवाद का कारण बनता है। इसके निराकरण हेतु यह निदेशित किया गया था कि निर्धारित तिथि को ससमय विहित स्थलों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना निर्वाचन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और उसी तिथि को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची Pdf फाईल में ई-मेल द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे ताकि उसे प्राधिकार के वेबसाईट पर सदस्यों की जानकारी हेतु अपलोड किया जा सके।

4. यदा-कदा विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित मतदाता सूची शरारती तत्वों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सदस्यों को जानकारी नहीं हो पाती है। इस संबंध में यह निदेशित किया गया था कि निर्वाचन पदाधिकारी अपने कार्यालय के एक कर्मी को चिन्हित कर उनके पास प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति रक्षित करेगे और अपने कार्यालय के सूचना पट् पर कर्मी के नाम के साथ इस आशय

की सूचना प्रकाशित करेंगे कि संबंधित कर्मी के पास प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति रक्षित है, जो देखना चाहे देख सकते है।

कृपया उक्त निदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि विवाद रहित स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण हो सके। जिन पदाधिकारियों को ये दायित्व दिये गये हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करेंगे और किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेंगे। अपने कर्तव्यों का सही ढ़ग से निर्वहन नहीं करने के मामले को प्राधिकार गम्भीरता से लेगा और दायित्व का निर्वहन सही ढ़ग से नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की संगत धारा के तहत आवश्यक कठोर कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

25/06/18

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 591 पटना, दिनांक 25-6-2018

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को उक्त निदेश से कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 591 पटना, दिनांक 25-6-2018

प्रतिलिपि : निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 591 पटना, दिनांक 25-6-2018

प्रतिलिपि : मुख्य चुनाव पदाधिकारी के प्रधान आप्त सचिव/ श्री अमित अमन, कम्प्यूटर ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/18

मुख्य चुनाव पदाधिकारी